

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम (नियम 26)

त उपखण्ड अधिकारी मुकाम चिड़ावा  
 राप्रसिंह वर्मा बनाम सावेरपल वर्मा  
 नं \_\_\_\_\_ सन् \_\_\_\_\_

क्र.सं.	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
21	<p>परावसी पेश हुई इतनाही वाड पर अरफ हाजरी अरफ परकी के खारील किया जा चुका है अतः प्रायतः पर अरफ निवेधाना भी खारील किया जाता है परावसी केवल हुक्म होकर नम्बर से काफ की जाकर वाड तकनील जाकर दाखील रहल है।</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा</p>	

